

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी - श्री राजकेश मीना
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 48 /2021

- 1 ओमप्रकाश पिता रामस्वरूप औझा उम्र-वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा वादी
उनवान
- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.) प्रतिवादीगण
बनाम


वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- वादी स्वयं
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

दिनांक- 15.11.2021

वाद-पत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि-वाके ग्राम फुलियाकलां पटवार हल्का फुलियाकलां भु.अ.निरीक्षक फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 1354 आराजी संख्या 3450, 3451 किता 2 रकबा 0.64 हैक्टे. भूमि से सरकार का नाम बतौर सहखातेदारी 1/4 हक विलोपित कर वादी का 1/2 हक आधिपत्य निर्धारित कर सहखातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कर, दुरुस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कर, दुरुस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। इसके साथ ही वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी किसी प्रकार की बाधा अथवा रुकावट उत्पन्न नहीं करें। इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। तहसीलदार फुलियाकलां तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आज यह डिक्री दिनांक 15.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकलां में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।


(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

